ईमेल / फैक्स / निबंधित

पत्रांक– 7 / विविध–42 / 2019 .... /

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अरविन्द कुमार वर्मा, भा0प्र0से0
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
खगड़िया।

पटना, दिनांक–.. /

विषयः– **श्रीमती प्रियंका कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, मध्य विद्यालय, सकरोहर, ग्राम–सकरोहर, प्रखंड–बेलदौर का स्थानान्तरण पटना जिला के प्रखंड पटना सदर नियोजन इकाई में करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार पटना के पत्रांक–698 / आ0नि0को0 दिनांक–24.06.2019 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित प्रखंड शिक्षिका जो आपके जिलान्तर्गत नियोजित है का स्थानान्तरण पत्रानुसार उनके पति के विकलांगता के आधार पर पटना जिला के पटना सदर प्रखंड के अन्तर्गत नियोजन इकाई में करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आप अवगत है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2012 के नियम 15 (ड0) स्थानान्तरण शीर्षक के तहत स्पष्ट किया गया है कि इस नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त नियोजित शिक्षकों को अपने सेवाकाल में 3 वर्षो के बाद अपने नियोजन इकाई में ही अधिकतम दो स्थान्तरण लेने का प्रावधान है।

उक्त विषयांकित मामले से संबंधित वाद सं0–6 / 2019 के संबंध में राज्य आयुक्त निःशक्तता महोदय के न्यायालय में दिनांक–01.07.2019 को अप0 3:00 बजे स्वयं संगत नियमावली एवं अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रश्नगत दावे के संबंध में विभाग की ओर से पक्ष रखने हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है।

अतः उक्त निर्धारित सुनवाई में ससमय स्वयं की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

–Sd–

(अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–7 / विविध–42 / 2019 ....833...... / पटना, दिनांक....01/07/19........ /

प्रतिलिपिः– राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–698 / आ0नि0को0 दिनांक–24.06.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री अभय कुमार सिन्हा, फ्लैट नं0–103 (बी), पाचू, ग्रीन होम, रोड नं0–12, हरिहरराय पथ, इन्द्रपुरी, पो0–केशीनगर, थाना–पाटलीपुत्रा, पटना–24 को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/07/19

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार
अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिनकोड–800015
दूरभाष सं0–0612–2215041, 2215152, email - scdisability2008@gmail.com

पत्रांक- 698/आ॰नि॰को॰ दिनांक 24 जून'19

उपस्थिति हेतु सम्मन ,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-82 के अन्तर्गत

वाद संख्या-06/2019

प्रकरण में :- **श्री अभय कुमार सिन्हा, फ्लैट नं0-103 (बी), पाचू ग्रीन होम, रोड नं0-12, हरिहरराय पथ, इन्द्रपुरी, पो0-केशरीनगर, थाना-पाटलीपुत्रा, पटना-24 का अपनी पत्नी के स्थानान्तरण से सम्बन्धित परिवाद।**

बनाम :- (1) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना।

चूँकि उपरोक्त परिवाद पत्र आपके विभाग/संस्था के विरूद्ध समर्पित की गई है, जिसकी सं0-06/2019 है। श्री अभय कुमार सिन्हा का परिवाद पत्र जो न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, नई दिल्ली का पत्रांक-आर0-14003 दिनांक-14.12.2019 के अन्तर्गत कार्यालय को प्राप्त है, उक्त परिवाद पत्र (प्रति संलग्न) में यह शिकायत की गई है कि इनकी स्थायी विकलांगता के आधार पर इनकी पत्नी श्रीमती प्रियंका कुमारी जो मध्य विद्यालय, सकरोहर, ग्राम+पो0-सकरोहर, प्रखण्ड-बेलदौर, जिला-खगड़िया में प्रखण्ड शिक्षिका के रूप में नियोजित हैं। DOPT, भारत सरकार, के कार्यालय ज्ञापांक सं0-36035/3/2013-Estt.(Res) दिनांक-31.03.2014 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में परिवादी का स्थानान्तरण पटना नियोजन इकाई में पटना जिला के प्रखण्ड पटना सदर अन्तर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया था। इस कार्यालय का पत्र सं0-497/आ0नि0को0 दिनांक-26.04.2019 द्वारा परिवादी के स्थानान्तरण से सम्बन्धित विषय पर नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको पत्र प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद पत्र पर विचारोपरांत एतद द्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-15 के समक्ष दिनांक-01.07.19 को समय-3 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में प्रश्नगत दावे का उत्तर देने हेतु उपस्थित हों। आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त दिवस पर उन अभिलेखों को प्रस्तुत करें जो कि आप अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहें तथा उसकी एक प्रति वादी/वादियों को भी उपलब्ध करायें।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ दिवस 24 माह 06 वर्ष 2019 को जारी की गयी।

24.06.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 698/आ॰नि॰को॰ दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि परिवादकर्त्ता श्री अभय कुमार सिन्हा, फ्लैट नं0-103 (बी), पाचू ग्रीन होम, रोड नं0-12, हरिहरराय पथ, इन्द्रपुरी, पो0-केशरीनगर, थाना-पाटलीपुत्रा, पटना-24 को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पक्ष रखने हेतु साक्ष्य के साथ उपस्थित हों।

24.06.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

नोटः-सम्मन के तामिल हो जाने के पश्चात अगली तिथियों एवं कार्यवाही की जानकारी सम्बन्धित पक्षों को स्वयं प्राप्त करनी होगी।